04/6/19

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की मूल अपील पत्रावली आज आरक्षित होकर अग्रिम पैरवी मुकर्रर की जाती है तथा निर्णीत के इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः यह पत्रावली भी आरक्षित होकर अग्रिम पैरवी मुकर्रर की जाती है एवं पूर्व के जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसला सुनाया। नकल के रूप में। कार्यवाही तत्काल मूल रूप रहे। सुनाया गया।

Scanned by CamScanner